130 इन्फैन्ट्री बटालियन (टी0ए0) पर्यावरण कुमाँऊ में भर्ती रैली

1. 130 इन्फैन्ट्री बटालियन (टी०ए०) पर्यावरण कुमाँऊ में 18 अगस्त 2025 से 23 अगस्त 2025 भर्ती हेतु निम्न प्रकार से भर्ती रैली प्रातः 06:00 बजे बटालियन मुख्यालय पिथौरागढ के ग्राउण्ड में की जायेगी :--

| 1.1. | 18 अगस्त 2025 | प्रमाण पत्रों की जांच व शारीरिक परीक्षण |
|------|-------------------------|---|
| 1.2. | 19 व 21 अगस्त 2025 | शारीरिक परीक्षण मे चुने गये पूर्व सैनिको व नौजवानो का मेडिकल परीक्षण |
| 1.3. | 22 अगस्त, 23 अगस्त 2025 | साक्षात्कार |

2. रिक्त पदों की संख्या :--

| कम. | पद | रिक्ति | अन्य विवरण |
|--------|---|--------|--|
| संख्या | | | |
| 2.1. | JCO (GD) जूनियर कनिष्ठ अधिकारी | 01 | |
| 2.2. | Soldier (GD) सिपाही (जी0डी0) | 91 | |
| 2.3. | Soldier Clerk (लिपिक) | 01 | केवल उत्तराखण्ड राज्य के पूर्व |
| 2.4. | Soldier Chef Community (रसोईया) | 06 | सैनिक तथा भूतपूर्व महिला कर्मी (समयपूर्व सेवानिवृत सहित) जो कि |
| 2.5. | Soldier Carpenter (<u>बढई</u>) | 03 | पर्यावरण वन मंत्रालय तथा जलवायु नियंत्रण या राज्य वन विभाग, |
| 2.6. | Soldier Housekeeper (सफाई वाला) | 02 | उत्तराखण्ड में न्यूनतम बीस साल सेवा प्रदान कि हो भर्ती रैली में भाग |
| 2.7. | Soldier Washermen (धोबी) | 03 | ले सकते हैं। |
| 2.8. | Soldier Tailor (दर्जी) | 02 | |
| 2.9. | Soldier Equipment Repairer (उपकरण मरम्मतकर्ता) | 02 | |
| 2.10. | Soldier Hair Dresser (नाई) | 03 | |
| 2.11. | Soldier Black Smith (लौहार) | 01 | |

- 3. पात्रता मापदंड पूर्व सैनिकों और पूर्व महिला कर्मी के लिए :--
 - 3.1. <u>उम्र</u> :--

3.1.1. भूतपूर्व सैनिक (पेंशन धारक) के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं हैं, बशर्ते सेवानिवृत्ति / निर्वहन कि तारीख पाँच साल के भीतर हो ।

3.1.2 भूतपूर्व महिला कर्मी जो कि पर्यावरण वन मंत्रालय तथा जलवायु नियंत्रण या राज्य वन विभाग, उत्तराखण्ड में न्यूनतम बीस साल सेवा प्रदान कि हो तथा पेंशन धारक हो के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नही हैं, बशर्ते सेवानिवृत्ति / निर्वहन कि तारीख पाँच साल के भीतर हो।

- 3.2. <u>चिकित्सा श्रेणी</u> SHAPE-1
- 3.3. <u>चरित्र</u> अनुकरणीय/बहुत अच्छा (EXEMPLARY/ VERY GOOD)
- 3.4. भार पुरूष न्यूनतम 50 किलोग्राम व महिला न्यूनतम 42 किलोग्राम ।
- 3.5. <u>योग्यता</u> भूतपूर्व सैनिक (पेंशन धारक) तथा भूतपूर्व महिला कर्मी (समयपुर्व सेवानिवृत सहित) जो कि पर्यावरण वन मंत्रालय तथा जलवायु नियंत्रण या राज्य वन विभाग, उत्तराखण्ड में न्यूनतम बीस साल सेवा प्रदान कि हो ।
- 3..6. <u>उँचाई</u>

3.6.1. 160 से0मी0 (गोरखा व गढ़वाली पुरूष के लिए 152 से0मी0) ।

3.6.2. 150 से0मी0 भूतपूर्व महिला कर्मी (पर्यावरण वन मंत्रालय तथा जलवायु नियंत्रण या राज्य वन विभाग, उत्तराखण्ड में न्यूनतम बीस साल सेवा प्रदान कि हो तथा पेंशन धारक हो) । 3.7. <u>छाती</u>

3.7.1. 82 से0मी0 (न्यूनतम विस्तार 05 से0मी0) पुरूषों के लिए ।

3.7.2. महिलाओं को 05 से0मी0 की छाती का विस्तार करने में सक्षम होना चाहिए ।

4. पूर्व सैनिकों हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्र एवम दस्तावेज भर्ती रैली में आवश्यक हैं :--

| भूतपूर्व सैनिक (पेंशन धारक) | | | | | | भूतपूर्व महिला कर्मी (पेंशन धारक) | | |
|-------------------------------------|------------|-----|-----|-------|-----|-------------------------------------|--|--|
| | | बुक | मुल | प्रति | एवं | एक | 4.1. पेंशन ऑर्डर की मुल प्रति एवं एक छायॉप्रति | |
| छायॉप्र | ति | | | | | | | |
| | पी0पी0ओ0 | की | मुल | प्रति | एवं | एक | 4.2. सम्बन्धित विभाग से जिसमें महिला ने 20 वर्ष सेवा प्रदान की से प्रमाण पत्र | |
| छायॉप्र | ति | | - | | | | वष सवा प्रदान का सं प्रमाण पत्र | |
| 4.3. भूतपूर्व सैनिक पहचान पत्र | | | | | | 4.3. आधार कार्ड | | |
| 4.4. | आधार कार्ड | | | | | | | |
| 4.5. सात रंगीन फोटो (पासर्पोट साईज) | | | | | ईज) | 4.5. सात रंगीन फोटो (पासर्पोट साईज) | | |

<u>कार्य सेवा शर्तें एवं सुविधायें</u> —

5.1. पूरे वर्ष में कुल 08 माह सेवा का प्रावधान होगा, जिसमें वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवश्यकतानुसार कार्य होगा।

5.2. भर्ती पर जुनियर कमीशन अधिकारियों को छोडकर, पूर्व सैनिकों और भूतपूर्व महिला कर्मी जो कि पर्यावरण वन मंत्रालय तथा जलवायु नियंत्रण या राज्य वन विभाग, उत्तराखण्ड को सिपाही पद पर नामांकित किया जायेगा। इसी तरह, पूर्व जूनियर कमीशन अधिकारी तथा श्रेणी 2 अधिकारी पर्यावरण वन मंत्रालय तथा जलवायु नियंत्रण या राज्य वन विभाग के नायब सुबेदार के पद पर नामांकित किये जायेंगे।

5.3. अन्य पद के रूप में भूतपूर्व सैनिक व भूतपूर्व महिला कर्मी केवल 50 वर्ष तक की सेवा करेंगे।

5.4. भूतपूर्व कनिष्ठ अधिकारी और श्रेणी–2 या समकक्ष भूतपूर्व महिला कर्मी 55 साल तक की सेवा कर सकते हैं ।

5.5. इन्फैन्ट्री बटालियन (टी०ए०) पर्यावरण में नामांकित व्यक्तियों के नामांकन की अवधि 02 साल होगी तथा 01 साल की सेवा प्रतिधारण के लिए संतोषजनक प्रदर्शन और उपयुक्तता के अधीन सेवा में विस्तार में एक बोर्ड के अधिकारियों द्वारा यूनिट के भीतर नामांकित कर्मियों की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

5.6. <u>वेतन व भत्ते</u> :--

5.6.1. **बेसिक वेतन व महंगाई भत्ते.** सभी नांमाकित व्यक्ति अपने रैंक व सेवा समूह के बेसिक वेतन के हकदार होंगे जिस पद पर वह अपनी सेवायें दे रहे होंगें। महंगाई भत्ता समयानुसार देय होगा ।

5.6.2. <u>अन्य भत्ते</u>. अन्य भत्ते जैसे सी0इ0ए0, एच0सी0ए0, एच0आर0ए0 व परिवहन भत्ता देय होंगे।

5.7. वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual increment) व ग्रेच्युटी (Gratuity) भूतपूर्व सैनिक (पेंशन धारक) तथा भूतपूर्व महिला कर्मी को नहीं मिलेगा।

5.8. 30 दिन की वार्षिक तथा 15 दिन आकस्मिक छुटटी कर्मचारी को देय होगी।

रैली में किसी भी प्रकार की दुर्धटना / घटना के लिए संस्था जिम्मेदार नही होगी।

7. उपरोक्त शर्तो के आधार पर पर्यावरण बटालियन में भर्ती होने के इच्छुक पूर्व सैनिक व महिला कर्मी निर्धारित तिथि को सुबह 06:00 बजे भर्ती रैली में वांछित दस्तावेजो के साथ उपस्थित होगें।

8. आनलाइन नांमाकन और पात्रता मापदंड की जानकारी के लिए www.130ta.com पर जायें अथवा नीचे दिये गये QR Code को स्कैन करें.



RECRUITMENT RALLY: 130 INF BN (TA) ECO KUMAON

1. Recruitment rally of 130 Inf Bn (TA) Eco Kumaon will be conducted at 0600 hrs at Battalion Headquarters, Pithoragarh from 18 Aug 2025 Sep to 23 Aug 2025 as per the following schedule:-

- 1.1. Documents checking and Physical test 18 Aug 2025
- 1.2. Med test of selected persons in physical test 19 Aug to 21 Aug 2025
- 1.3. Interview 22 Aug to 23 Aug 2025

2. Vacancies for Recruitment:-

| S.No | Category | Vacancy | Remark | | | |
|-------|------------------------------|---------|---|--|--|--|
| 2.1. | JCO (General Duty) | 01 | Only ESM of Uttarakhand State and Ex-women employees | | | |
| 2.2. | Soldier (General Duty) | 91 | and Ex-women employees (including premature retiree with | | | |
| 2.3. | Soldier (Clerk) | 01 | minimum 20 years of service) of Ministry of Environmental Forest | | | |
| 2.4. | Soldier (Chef Community) | 06 | and Climate Control (MoEF&CC) | | | |
| 2.5. | Soldier (Carpenter) | 03 | and State Forest Department, Uttarakhand will participate in | | | |
| 2.6. | Soldier (Housekeeper) | 02 | recruitment rally. | | | |
| 2.7. | Soldier (Washermen) | 03 | | | | |
| 2.8. | Soldier (Tailor) | 02 | | | | |
| 2.9 | Soldier (Equipment Repairer) | 02 | | | | |
| 2.10. | Soldier (Hair Dresser) | 03 | | | | |
| 2.11. | Soldier (Black Smith) | 01 | | | | |

3. Eligibility criteria for ESM and Ex-Women Employee:-

3.1. **Age**:-

3.1.1 No minimum age for Ex-Servicemen however, should get enrolled within five years from date of retirement/discharge.

3.1.2. No minimum age limit for ex-women employees (including premature retiree) of Ministry of Environmental Forest and Climate Control (MoEF&CC) and State Forest Department, Uttarakhand, however should get enrolled within five years from date of retirement/discharge.

- 3.2. Medical Category: SHAPE-1
- 3.3. Character EXEMPLARY / VERY GOOD
- 3.4. Weight Min 50 Kgs for male and 42 Kgs for female.
- 3.5. **Qualification** Ex-Servicemen (Pension holder only) or Ex-women employees (including premature retiree with minimum 20 years of service) of Ministry of Environmental Forest and Climate Control (MoEF&CC) and State Forest Department, Uttarakhand.

4. <u>Height.</u>

- 4.1. 160 cm (152 cms in case of Gorkhas & Garhwalis).
- 4.2. 150 cm for Ex-women employees of MoEF & CC and State Forest Department.
- 4.3.

5. <u>Chest</u>

5.1. 82 cm (Minimum expansion 05 cm) for male.

- 2
- 5.2. Women should be capable of chest expansion of 05 cm.

6. Documents requirement for ESM & Ex-Women Employee:-

| | Ex-Servicemen | EX-Women Employee | | |
|------|--|-------------------|--|--|
| 6.1. | Discharge book. | 6.1. | Pension Order in original & Photostat. | |
| 6.2. | PPO in original and Photostat | 6.2. | Certificate from the concerned | |
| 6.3. | ESM Identity card. | depar yrs. | tment where the lady served for 20 | |
| 6.4. | Aadhaar Card | 6.3. | Aadhaar Card | |
| 6.5. | Seven colour photographs in passport size. | 6.4. size. | Seven colour photographs in passport | |

7. **Terms & Conditions of Service and Facilities**: The newly enrolled TA personnel will be governed by the following conditions of service:-

7.1. The embodied service will be restricted for 08 months in a year which is also dictated and subject to requirement by funding agencies.

7.2. Ex-servicemen and Ex-women employees (including premature retiree) of MoEF & CC and State Forest Department, except Junior Commissioned Officers on recruitment, will be enrolled as Sepoy similarly, Ex- Junior Commissioned Officer and Class II or equivalent Ex-women employees of MoEF&CC and State Forest Department will be enrolled in the rank of Naib Subedar.

7.3. Ex-Servicemen and Ex-women employees enrolled as Other Rank (OR) will serve only upto 50 years of age.

7.4. Ex-Junior Commissioned Officers and Class – II or equivalent Ex-women employees can serve upto 55 years of age.

7.5. The period of enrollment of enrolled persons will be 02 years commencing on and from the date of enrolment of service in Infantry Battalions (TA) Ecological unit and may be extended 01 year at a time, subject to satisfactory performance and suitability for further retention in service.

8 Pay and allowances.

8.1. **Basic pay and Dearness allowance**. All enrolled personnel will be entitled to basic pay of their rank and service group, in which they are employed in the unit. Dearness allowance as admissible from time to time will also be applicable.

8.2. **Other Allowance**. Other allowance like Children education allowance, Hill Compensatory allowance, House rent allowance and Road mileage allowance etc, will be admissible.

8.3. Annual increment and gratuity will not be admissible to Ex-Servicemen and Ex women employees (including premature retiree).

8.4. 30 days annual leave and 15 days casual leave is authorised for part time staff.

9. The authority's conducting the rally will not be responsible for any accident/injury to the candidate during recruitment rally.

10. Willing candidate to be present at 0600 hrs on the given date alongwith the aforesaid documents as per the above mentioned conditions.